□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
□□□□□□ प्रश्न □ख□□ : 117
09 □□□□□, 2018 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

□□□□□□ □□द्य □□□□□□□

* 117. श्र□ □□□□ □□□□ □□□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण □त्री□ यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी द्वारा जेनेटिकली मोडिफाइड खाद्य का अब विनियमन नहीं हो रहा है और ऐसे विनियमन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ॰एस॰एस॰ए॰आई॰) को सौंप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एफ॰एस॰एस॰ए॰आई॰ द्वारा अभी तक जी॰एम॰ खाद्य के लिए मानक अधिसूचित नहीं किए गए हैं और वर्तमान में जी॰एम॰ खाद्य के विनियमन के लिए कोई मानक नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

□त□□
स्□□स्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

f□□□□ 09 □□□□□, 2018 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न □□117 □□□त□□ □ □□े□□□□ □□□□□

(क) से (ङ): भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने जानकारी दी है कि खाद्य पदाथ के रूप म सीधे या खाद्य पदाथ के रूप म प्रोसेसिग के लिए नियत आनुवांशिक रूप से तैयार जीवों (जीईओ) या जीवित पर्रिष्कृत जीवों (एलएमओ) के लिए पहले पयावरण सुरक्षा हेतु पयावरण, वन व जलवायु पर्रिवतन मंत्रालय को आनुवांशिक अभियांत्रिको मूल्यांकन समिति (जीईएसी) का अनुमोदन लेने व उसके बाद खाद्य सुरक्षा हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण का अनुमोदन लेने को जारी रखा जाएगा। एलएमओ या जीएमओ न रखने वाले लेकिन उनसे उत्पार्दित आनुवांशिक रूप से संशोधित घटकों वाले खाद्य पदाथ या संसाधित खाद्य पदाथ के लिए एफएसएसएआई का अनुमोदन अपेक्षित होगा। एफएसएसएआई ने यह भी जानकारी दी है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों हेतु ऐसे कोई भी मानक निधार्रित/अधिसूचित नहों किए गए ह। तथापि, आनुवांशिक रूप से संशोधित (जीएम) खाद्य पदार्थों हेतु विशिष्ट मानक न होने के वाबजूद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को धारा 22 के तहत, देश म जीएम खाद्य पदार्थों का विनिमाण, आयात या बिक्री करने को अनुमति नहों है।

खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व इसके तहत बनाए गए नियमों व विनियमों के प्रावधानों को लागू करने को प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को होती है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व उसके तहत बनाए गए नियमों व विनियमों के अंतगत निधार्रित प्रावधानों के अनुपालन को जांच करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों के अधिकार्रियों द्वारा खाद्य उत्पादों को नियमित निगरानी, मॉनिटर्रिग, निरीक्षण व सर्पालग को जाती है। गैर अनुरूपी खाद्य नमूने पाए जाने के मामले म एफएसएस अधिनियम, 2006 के अंतगत दंडात्मक प्रावधानों का सहारा लिया जाता है। एफएसएस अधिनियम व इसके तहत बनाए गए नियमों व विनियमों के कायान्वयन व इसके प्रवतन हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिए समय-समय पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को निदेश जारी किए गए ह।

***